

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Misc. Appeal No. 1234/2022

Pawan Kumar S/o Kishan Gopal Sharma, Aged About 38 Years,
R/o Acharyon Ka Mohalla, Patwariyon Ki Kothi, Kuchaman City,
Distt. Nagaur.

----Appellant

Versus

Parvati Sharma D/o Omprakash Sharma, Aged About 36 Years,
W/o Pawan Kumar, R/o Data Ramgarh Bus Stand, Near Kisan
Shiv Mandir, Renwal, Tehsil Phulera, Distt. Jaipur.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Dinesh Kumar Ojha
For Respondent(s)	:	Mr. Vikram Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/05/2023

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1, परबतसर, जिला नागौर (राजस्थान) द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र (एच.एम. एक्ट) संख्या 74/2014 (सीआईएस नंबर 21/2015) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के निर्णय दिनांक 05.05.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. इस न्यायालय के यह ध्यान में आया है कि इस न्यायालय की जयपुर खण्ड पीठ द्वारा D.B. Civil Misc. Appeal No. 1736/2021, उमाकांत बनाम श्रीमती पुष्पा में आदेश दिनांक 15.07.2022 में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, बयाना, जिला भरतपुर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गई अपील में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम व राज्य-सरकार के नोटिफिकेशन पर विचार किया गया व अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, बयाना, जिला भरतपुर को धारा 3 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी करने से पारिवारिक न्यायालय माना जाकर धारा 19 के मुताबिक अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, बयाना, जिला भरतपुर के निर्णय की अपील

खण्ड पीठ में ही होना मानते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज किया व रजिस्ट्री की त्रुटि को दुर किया गया।

3. इस न्यायालय की उक्त माननीय खण्ड पीठ के निर्णय में धारा 2 (डी) पारिवारिक न्यायालय अधिनियम पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया कि धारा 3 के तहत गठित किए गए पारिवारिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध धारा 19 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के मुताबिक दो या अधिक की संख्या के न्यायाधीशों द्वारा अपील की सुनवाई किए जाने के प्रावधान हैं। इस निर्णय में राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 दिनांक 01.06.2016 प्रमुख शासन सचिव का नोटिफिकेशन, जिसको कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2016 द्वारा प्रसारित (Circulate) किया हुआ है, का उल्लेख करते हुए अधिसूचना दिनांक 05.02.2015 की निरंतरता में यह अधिसूचना होना माना है और अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, बयाना, जिला भरतपुर को पारिवारिक न्यायालय के रूप में मानते हुए उसकी अपील खण्ड पीठ में होना अभिनिर्धारित किया गया है।

4. इस न्यायालय के माननीय खण्ड पीठ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत मामले पर विचार किया गया। हस्तगत मामला अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1, परबतसर, जिला नागौर (राजस्थान) द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र (एच.एम. एक्ट) संख्या 74/2014 (सीआईएस नंबर 21/2015) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के निर्णय दिनांक 05.05.2022 की अपील है और राज्य-सरकार द्वारा जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उस पर विचार किया जा रहा है।

5. माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में जो नोटिफिकेशन दिनांक 01.06.2016 का अंकित किया गया है, उसमें पूर्व के नोटिफिकेशन दिनांक 05.02.2015 का हवाला दिया गया है। दिनांक 05.02.2015 के नोटिफिकेशन पर विचार किया गया। यह नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग का क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 जयपुर दिनांक 05.02.2015 का है, जो रजिस्ट्रार (नियम) द्वारा समस्त न्यायालयों को क्रमांक Gen/II/1/85(s)/202 दिनांक 07.02.2015 द्वारा प्रसारित (Circulate) किया गया है।

6. इस नोटिफिकेशन में यह अंकित किया गया है कि “पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, पूर्व में सृजित एवं स्थापित समस्त पारिवारिक न्यायालयों को क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर उनकी क्षेत्राधिकारिता महानगर/नगर परिषद्/नगरपालिका सीमा क्षेत्र तक यथा लागू सीमित करती है। साथ ही उक्त सीमा क्षेत्र को छोड़कर शेष राजस्व जिला क्षेत्र की पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकारिता, संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले जिला न्यायालय/अपर जिला न्यायालय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रदान की जाती है।”

7. उक्त नोटिफिकेशन में पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार महानगर/नगर परिषद्/नगर पालिका सीमा क्षेत्र तक ही किया गया था, शेष क्षेत्राधिकार मुख्यालय पर स्थित जिला न्यायालयों के पास व अन्य अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वगैरा को क्षेत्राधिकारिता दी गई थी, तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आदेश में जो अधिसूचना दिनांक 01.06.2016 का उल्लेख किया गया है, इसमें केवल मुख्यालयों पर स्थित जिला न्यायालयों को जो पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया था, वह समाप्त किया गया और मुख्यालयों पर स्थित जो जिला न्यायालयों का क्षेत्राधिकार था, वह भी मुख्यालय पर स्थित पारिवारिक न्यायालयों को दे दिया गया था।

8. ऐसी अवस्था में दिनांक 05.02.2015 का नोटिफिकेशन व दिनांक 01.06.2016 के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्यालय से बाहर स्थित दिनांक 05.02.2015 से पूर्व जिन-जिन अपर जिला न्यायालयों का सृजन हो चुका था, उन सभी अपर जिला सेशन न्यायालयों को दिनांक 05.02.2015 के नोटिफिकेशन मुताबिक धारा 3 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी और उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग के क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 दिनांक 26.06.2018 की अधिसूचना के मुताबिक दिनांक 05.02.2015 के नोटिफिकेशन की निरंतरता में मुख्यालय से बाहर स्थित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों को उनके सम्मुख कॉलम संख्या 4 में वर्णित क्षेत्राधिकार में पारिवारिक न्यायालयों की

शक्तियां प्रदान की गई है, यह वह अपर जिला न्यायालय है, जिनका सृजन दिनांक 05.02.2015 के पश्चात् हुआ है।

9. अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1, परबतसर, जिला नागौर (राजस्थान) का न्यायालय दिनांक 05.02.2015 से पूर्व से ही सृजित है, ऐसी सूरत में दिनांक 05.02.2015 के नोटिफिकेशन के द्वारा धारा 3 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय के अधिकार इस न्यायालय को दिया जाना स्पष्ट है। इस मामले में धारा 13 के मूल प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.02.2014 को यह प्रकरण पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता में पेश किया गया, जो कालांतर में दिनांक 05.02.2015 के नोटिफिकेशन के कारण ही अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1, परबतसर, जिला नागौर में स्थानांतरण होना प्रतीत होता है।

10. उक्त विधिक स्थिति के मुताबिक अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1, परबतसर, जिला नागौर (राजस्थान) द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय धारा 3 का नोटिफिकेशन होने के कारण पारिवारिक न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय ही समझा जाएगा और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के मुताबिक इस निर्णय की अपील खण्ड पीठ के समक्ष ही सुनवाई हेतु पेश होनी चाहिए। एकल पीठ के समक्ष धारा 19 के मुताबिक इस अपील का निस्तारण नहीं किया जा सकता है।

11. ऐसी अवस्था में इस अपील को इस न्यायालय की संबंधित खण्ड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया जाता है और अपीलार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि खण्ड पीठ के लिए अपील एवं दस्तावेज का आवश्यक एक अतिरिक्त सैट एक सप्ताह के भीतर पेश करें। अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त सैट पेश करने की सूरत में प्रकरण संबंधित खण्ड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J